निःशुल्क वितरण के लिए

पथ भारती

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अर्द्धवार्षिक पत्रिका)

अंक–2

जनवरी–जून, 2007

संरक्षक

श्री ब्रह्म दत्त
सचिव, भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री सरोज कुमार दास
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

कार्यपालक संपादक

श्री पी.एस.राणा
निदेशक (हिन्दी)

संपादक

श्री सुनील कुमार
उप निदेशक (राजभाषा)

उप संपादक

श्री कंवर सिंह यादव
सहायक निदेशक (राजभाषा)

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं और विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

संपर्क सूत्र

संपादक

पथ भारती
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग,
भूतल, कमरा नं. 18, परिवहन भवन
1, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

पथ भारती

विषय सूची

	लेख	लेखक	पृष्ठ
	प्रधान संपादक की कलम से		
	विभाग के कार्यकलापों का सारांश		1
☞	वह ड्राइवर	श्री आर. सी. मिश्र	11
☞	स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना – एक अद्भुत क्रांति	श्री अनिल कुमार खंडेलवाल	13
☞	सिक्किम प्रगति के पथ पर	श्री प्रज्ञा सिंह	15
☞	'हॉक आइ' से होगा सड़कों का आधुनिक सर्वेक्षण	इंजी. राज कुमार अग्रवाल	17
☞	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास – लाभ एवं भावी चुनौतियां	श्री उमेश कुमार सिंहा	19
☞	सरकारी कामकाज – सरल हिन्दी की मांग	श्री रघुनाथ सहाय	22
☞	आशियाना	श्री मंगत राम	26
☞	एक कप चाय कितने की	श्री अरूण कुमार शर्मा	27
☞	भाषा के नाना प्रकार	श्री प्रवीण कुमार कुलश्रेष्ठ	28
	पुरस्कार वितरण समारोह–एक झलक		34
☞	फ्री में क्या है भाई	श्री जे.जे श्रीवास्तव 'ज्योति'	37
☞	नई सदी में प्रेमचन्द	श्री पी.आर. वासुदेवन	41
☞	भ्रम भंग (लघु नाटक)	श्री बाल शेखर दिवाकर	44
☞	सड़कें – भारत का नया स्वरूप	श्री आर.के. धीमान	50
☞	कल की बात	श्री डी. के. राजाघाट चवरे	51
☞	एक राजमार्ग की आत्मकथा	श्री एच.पी.घोषाल	53
☞	लौट आया है शरद	सुश्री अनिता अनुराग	55
☞	अंतर्मन	मोहम्मद हारून	59
☞	अफसोस	श्री कमला नायक	61
☞	जिज्ञासा	श्री सदरे आलम	63

प्रधान संपादक की कलम से

पथ भारती पत्रिका का दूसरा अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हमारा यह सतत प्रयास है कि इस पत्रिका के माध्यम से हम अपने सुधी पाठकों को इस विभाग के कार्यकलापों की जानकारी के साथ–साथ विभाग से संबंधित तकनीकी विषयों, संघ की राजभाषा हिन्दी और विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरक सामग्री उपलब्ध कराएं। यह अंक इस दिशा में हमारा एक विनम्र प्रयास है।

पथ भारती के इस दूसरे अंक में विभाग के कार्यकलापों का विवरण दिया गया है। हमारे विभाग के दो मुख्य पक्ष हैं **सड़क पक्ष** और **परिवहन पक्ष**। **सड़क पक्ष**– यह पक्ष देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए योजनाएं और कार्यनीति बनाता है। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, उन्नयन और सुदृढीकरण के उद्देश्य से **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना** चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके 2/4/6/8 लेन का बनाया जा रहा है। देश को सड़क मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से **उत्तर – दक्षिण कोरिडोर** और **पूर्व–पश्चिम कोरिडोर** का निर्माण किया जा रहा है। देश के चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चलाई जा रही है, में उक्त अवधि के दौरान सड़क पक्ष के इन सभी कार्यकलापों के बारे में जानकारी इस अंक में शामिल की गई है।

परिवहन पक्ष– यह पक्ष मुख्यतः परिवहन और यातायात के लिए कानून, नियम, दिशा–निर्देश आदि तैयार करता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 देश में मोटर यानों के विनियमन के लिए एक मुख्य दस्तावेज है। इस अधिनियम के स्थान पर मोटर यान संशोधन विधेयक, 2007 लाया जा रहा है। फिलहाल, इस विधेयक की जांच परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जा रही है। वाहक अधिनियम, 1865 में माल अथवा संपत्ति के आवागमन के संबंध में सामान्य वाहक के अधिकारों और दायित्वों के बारे में उल्लेख है। इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम सड़क द्वारा वहन विधेयक, 2007 पारित किया गया है, जो शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबन्धन से संबंधित एक **समर्पित निकाय** की स्थापना की गई है। इस अंक में इन सभी के बारे में भी विवरण शामिल किया गया है।

आशा करता हूं कि यह अंक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। इस पत्रिका को और अधिक रोचक, ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक बनाने के लिए, आपके सुझाव, यदि कोई हों, तो उनका सदैव स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने विचारों, सुझावों और लेखों आदि के माध्यम से हमारे इस प्रयास को और गति प्रदान करने में अपना योगदान देते रहेंगे।

आपका शुभेच्छु,

सरोज कुमार दास

(सरोज कुमार दास)

प्रधान संपादक

राष्ट्रीय राजमार्ग – 45 का ताम्ब्रम टिंडीवनम खंड

विभाग के कार्यकलापों का सारांश

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। इस विभाग के कार्यकलापों के आधार पर इसके दो मुख्य पक्ष हैं सड़क पक्ष और परिवहन पक्ष। आगे के अनुच्छेदों में सड़क पक्ष और परिवहन पक्ष के कार्यकलापों का विवरण दिया गया है।

I. सड़क पक्ष

देश में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के सड़क नेटवर्क का विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। वर्तमान में, देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33.14 लाख किलोमीटर है। देश की सड़कों की लंबाई का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम संख्या	सड़क का नाम	लंबाई
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	66,590 कि.मी.
2.	राज्यीय राजमार्ग	1,28,000 कि.मी.
3.	प्रधान जिला सड़कें	4,70,000 कि.मी.
4.	ग्रामीण सड़कें	26,50,000 कि.मी
	कुल	**33,14,590 कि.मी**

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है जो देश में सड़कों की कुल लंबाई का मात्र 2 प्रतिशत है। जिसमें से 12 प्रतिशत लंबाई 4 लेन या अधिक लेन मानक की, 56 प्रतिशत 2 लेन मानक की और 32 प्रतिशत लंबाई एकल या मध्यवर्ती लेन मानकों की है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एजेंसी के आधार पर किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन मुख्य एजेंसियां हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 66,590 किलोमीटर लंबाई में से लगभग 19,706 किलोमीटर लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और कुछ अन्य नॉन–एनएच डीपी स्कीमों के अधीन सुधार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 46,050 किलोमीटर लंबाई वर्तमान में राज्य लोक निर्माण विभागों तथा सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई है और राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 834 किलोमीटर लंबाई अभी सौंपी जानी है।

सड़क क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के नाम से एक व्यापक विकास परियोजना शुरू की है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2,36,247 करोड़ रुपये के निवेश से राष्ट्रीय विकास परियोजना के नाम से एक महत्वकांक्षी परियोजना तैयार की है। यह परियोजना चरणबद्ध रूप में विभिन्न चरणों में लागू की जा रही है। इस योजना का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	चरण	परियोजना का नाम	संभावित लागत (करोड़ रु.)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और चरण–II	स्वर्णिम चतुर्भुज तथा पूर्व–पश्चिम उत्तर–दक्षिण कोरिडोरों के शेष कार्यों को पूरा करना	52,694

2.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III	12,109 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना	80,626
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI	20,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर दो लेन का बनाना	27,800
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V	राष्ट्रीय राजमार्गों के 6500 किलोमीटर लंबे चयनित खंड़ों को 6 लेन का बनाना	41,210
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI	1000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस हाइवे का विकास	16,680
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII	चयनित खंडों पर रिंग रोड़ फ्लाईओवरों तथा बाइपासों का निर्माण	16,680
7.	अन्य	इंटरनेशल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ट्रमिनल (आइ.सी.टी.टी.), कोचीन	557

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–1 और चरण–2 में निम्नलिखित शामिल है :–

(क) **स्वर्णिम चतुर्भुज** : इस परियोजना में देश के चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता का राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है।

(ख) **उत्तर–दक्षिण कोरिडोर एवं पूर्व–पश्चिम कोरिडोर** : इस परियोजना में 7300 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाया जा रहा है। उत्तर–दक्षिण कोरिडोर परियोजना में कोचीन–सलेम खंड सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व–पश्चिम कोरिडोर में सिल्चर को पोरबन्दर से जोड़ा जा रहा है।

(ग) देश के 10 मुख्य पत्तनों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गें/सड़कों का विकास/सुधार।

(घ) 811 किलोमीटर लंबे अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III में 12,109 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को निर्माण – प्रचालन – हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 4 लेन का बनाया जा रहा है। ये वे उच्च घनत्व वाले कोरीडोर हैं जो राज्यों की राजधानियों पर्यटन महत्व के स्थानों तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों आदि को जोड़ते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क के अधीन 4,815 किलोमीटर लंबाई और शेष 7,294 किलोमीटर लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III ख के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजामर्ग विकास परियोजना चरण–V के अधीन 6,500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI के अधीन 1000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस–वे के निर्माण को भी अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की सितम्बर, 2007 तक की समग्र प्रगति निम्नानुसार है :–

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना घटक	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूर्ण किया गया कार्य (कि.मी.)	किया जा रहा है कार्य		सिविल कार्यो को सौंपने के लिए शेष कार्य (कि.मी)
			लंबाई (कि.मी)	ठेकों की संख्या	
स्वर्णिम चतुर्भुज	5,846	5,613	233	25	—
उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम कोरिडोर	7,142	1,487	4,834	148	821
पत्तन संपर्क	380	159	215	8	6
अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग	962	331	611	16	20
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–3	12,109	261	1,731	31	10,117
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–5	6500	—	148	2	6,352
आई.सी.टी.टी. कोचीन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क	17.2	—	17.2	1	0

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित विकास कार्यक्रम : मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में 8737 किलोमीटर सड़कों को सुधारने की परिकल्पना की गई हैं। इसमें 3846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग और 4891 किलोमीटर लंबी राज्यीय सड़कें और सामरिक महत्व की सड़कें शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण–क के अधीन 2304 किलोमीटर सड़कों को सुधार कार्य शुरू किया गया है। इसमें 1,889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग और 415 किलोमीटर लंबी राज्यीय सड़कें और जनरल स्टाफ सड़कें शामिल हैं। इस कार्यक्रम के चरण–क की अनुमानित लागत 12,793 करोड़ रुपये है जिसमें 4673 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता शामिल है और इस कार्य को 2012–13 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण–ख के अधीन ली जाने वाली वाली 6433 किलोमीटर शेष लंबाई के सुधार के लिए डी पी आर तैयार करने का कार्य चल रहा है। यह परिकल्पना की गई है कि यह संपूर्ण कार्यक्रम 2015–16 तक पूरा लिया जाएगा।

उपरोक्त विशेष पहलुओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कई प्रकार की विभिन्न परियोजनाएं समय–समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 पर इस्पात नगरी दुर्गापुर